	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 20, मंगलवार, शाके 1936–नवम्बर 11, 2014 *Kartika 20, Tuesday, Saka 1936-November 11, 2014*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, November 11, 2014

No. F. 2 (28) Vidhi/2/2014.- The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the President on the 30th day of October, 2014 and is hereby published for general information:-

THE FACTORIES (RAJASTHAN AMENDMENT) ACT, 2014
(Act No. 20 of 2014)

[Received the assent of the President on the 30th day of October, 2014]

An
Act

further to amend the Factories Act, 1948 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Factories (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on and from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 2, Central Act No. 63 of 1948.- In section 2 of the Factories Act, 1948 (Central Act No. 63 of 1948), in its application to the State of Rajasthan, hereinafter

referred to as the principal Act,-

(i) in sub-clause (i) of clause (m), for the existing word "ten", the word "twenty" shall be substituted; and

(ii) in sub-clause (ii) of clause (m), for the existing word "twenty", the word "forty" shall be substituted.

3. Amendment of section 85, Central Act No. 63 of 1948.- In clause (i) of sub-section (1) of section 85 of the principal Act, for the existing words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.

4. Amendment of section 105, Central Act No. 63 of 1948.- For the existing sub-section (1) of section 105 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) No Court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by an Inspector with the previous sanction in writing by the State Government.".

5. Insertion of new section 106B, Central Act No. 63 of 1948.- After the existing section 106A and before the existing section 107 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

"**106B. Compounding of offences.-** The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only, and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is so compounded,-

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender.".

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2014

संख्या प. 2 (28) विधि/2/2014.–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी फैक्ट्रीज (राजस्थान अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2014 (एक्ट नं. 20 ऑफ 2014)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

कारखाना (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 20)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को प्राप्त हुई]

कारखाना अधिनियम, 1948 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम कारखाना (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

2. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 2 का संशोधन.- कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 63), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, राजस्थान राज्य में इसके लागू होने के निमित्त उसकी धारा 2 में,-

(i) खण्ड (ड) के उप-खण्ड (i) में, विद्यमान शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) खण्ड (ड) के उप-खण्ड (ii) में, विद्यमान शब्द "बीस" के स्थान पर शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 85 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में विद्यमान शब्द "दस" और "बीस" के स्थान पर क्रमश: शब्द "बीस" और "चालीस" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 की धारा 105 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 105 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, राज्य सरकार द्वारा लिखित पूर्व मंजूरी से, निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।"।

5. 1948 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 63 में नयी धारा 106ख का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 106क के पश्चात् और विद्यमान धारा 107 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"106ख. अपराधों का शमन.- निरीक्षक, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और पहली बार कारित किसी अपराध का, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, ऐसी प्रशमन फीस की रकम की वसूली पर, जो वह ठीक समझे, जो उस अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक न हो, शमन कर सकेगा; और जहां इस प्रकार अपराध का शमन,-

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया गया हो तो अपराधी, ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा, और यदि अभिरक्षा में हो, तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया गया हो तो शमन अपराधी की दोषमुक्ति के बराबर होगा।"।

दीपक माहेश्वरी,

प्रमुख शासन सचिव।

4

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।